

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013—माघ 12, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. एफ-6-7-2009-अठारह-3.—भेलसा रामलीला मेला समिति जिला, विदिशा के गठन के संबंध में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 मार्च 2012 जो कि "मध्यप्रदेश राजपत्र" में दिनांक 30 मार्च 2012 को अधिसूचित किया गया है, में संशोधन करते हुए भेलसा रामलीला मेला विधान, 1956 (क्रमांक 21 सन् 1956) की धारा 2 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, तहसीलदार, विदिशा के स्थान पर श्री सुरेश शर्मा, अहमदपुर वाले को भेलसा रामलीला मेला समिति जिला विदिशा में सचिव नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. वर्मा, अवर सचिव.